

## कार्यालय:- जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1 (राज.)

क्रमांक:-स्टोर / 2025-26 / 133

दिनांक:- 16.01.2025

### खुली निविदा सूचना

बनीपार्क रिथ्त जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-1 के परिसर में गेट नं. 1 से 4 तक की सड़क के दायीं ओर रिथ्त भवन एवं सम्पूर्ण परिसर (कार्यालय एवं चम्बर्स के टॉयलेट्स सहित) के सफाई ठेका कार्य वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिए अनुमति लागत रुपये 10.00 लाख के लिए दर संविदा सम्पादित करने हेतु पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों/संस्थाओं से निविदा दर्ते आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं दर संविदा की शर्तें दिनांक 28.01.2025 को अपराह्न 01.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस को रु. 500/- का नकद भुगतान कर रोकड शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं। भरी हुई सील बंद निविदायें इसी दिन अपराह्न 03.00 बजे तक जमा की जा सकेंगी जो दिनांक 28.01.2025 को ही अपराह्न 04.30 बजे उपरिथित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा के साथ दो प्रतिशत अमानत राशि रुपये 20,000/- का बैंक ड्राफ्ट जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम के पक्ष में देय, पेश करना होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राज्य सरकार की वेब साईट [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

MET 2425 A 0012

UBN - MET 2425 W 10B 00012

28.01.2025  
16.01.25  
अध्यक्ष

सफाई ठेका कार्य निविदा समिति  
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश  
कम 08, जयपुर महानगर-1)

क्रमांक:- 134 to 136

दिनांक:- 16.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, महोदय जयपुर महानगर-1
- सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि इसे जिला न्यायालय की ईबसाइट पर अपलोड करने का अम करें।
- नोटिस बोर्ड।

29.01.2025  
16.01.25  
अध्यक्ष

सफाई ठेका कार्य निविदा समिति  
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश  
कम 08, जयपुर महानगर-1)

## (निविदा का प्रारूप)

निविदा शुल्क ₹- 500/-

(वापसी योग्य नहीं)

## कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

आवेदक का  
नवीनतम  
पासपोर्ट साईज  
का फोटो

- 1 कार्य का नाम :— जिला न्यायालय परिसर जयपुर महानगर-। में गेट नं. । से । की सड़क के दायी ओर स्थित भवन एवं सम्पूर्ण परिसर (कार्यालय एवं चैबर्स के टॉयलेट्स सहित) का सफाई व्यवस्था कार्य वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिए
- 2 निविदा क्रमांक: ..... दिनांक 16.01.2025
- 3 निविदा की अनुमानित लागत रु. 10.00 लाख वार्षिक
- 4 भरी हुई निविदा प्राप्ति तिथि व समय दि. 28.01.2025 (3.00 पी.एम)
- 5 निविदा खोलने की तिथि व समय दि. 28.01.2025 (04.30 पी.एम)
- 6 नाम आवेदक (ठेकेदार) / फर्म .....
- 7 पुत्र श्री .....
- 8 जाति ..... निवासी .....
- फोन नम्बर ..... मोबाइल नम्बर .....
- 9 वर्तमान पूर्ण पता .....
- 10 अनुभव .....
- 11 पैन नम्बर .....
- 12 सामग्री सहित प्रतिमाह ठेका राशि (अंको में) रु. ..... शब्दों में रूपये ..... (समस्त कर सहित)
- 13 रजिस्ट्रेशन का विवरण .....
- 14 अमानता राशि 20,000/- (शब्दों में) रूपये बीस हजार मात्र बैंक ड्राफ्ट नं. ..... दिनांक ..... बैंक का नाम .....
- 15 जी.एस.टी. नंबर ..... जारी की दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं  
पूरा नाम मय फर्म की सीलघोषणा-पत्र

मैं, ..... पुत्र श्री ..... जाति ..... वर्तमान पता  
निवासी (स्थाई पता) ..... यह घोषणा करता हूँ कि  
मैंने जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम के वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिए दिये जाने वाले सफाई ठेके की सम्पूर्ण शर्तों (01 लगायत 58) को पूरी तरह पढ़ लिया है। मैं उक्त ठेके की सम्पूर्ण शर्तों से पूरी तरह सहमत हूँ। यदि उक्त ठेका मेरे नाम से राशि रु. ..... शब्दों में ..... प्रतिमाह (जीएसटी, श्रम एवं सामग्री सहित) की दर पर छोड़ा जाता है तो मैं उक्त दरों पर सम्पूर्ण शर्तों के साथ पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य करने को सहमत हूँ।

(प्रोपाईटर / आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम)  
मय सील

## कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

अनुमति प्राप्त  
**जिला न्यायालय परिसर जयपुर महानगर प्रथम में गेट नं. 1 से 4 की राडक के दायीं और रिथ्त भवन एवं सम्पूर्ण परिसर इत्यादि का सफाई ठेका वर्ष 2025-2026 की अवधि की निविदा एवं कार्य की शर्तें तथा उपबंध**

- 1 अनुमोदित ठेकेदार द्वारा बनीपार्क रिथ्त जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-ए में गेट नं. 1 से गेट नं. 4 की सड़क के दायीं और रिथ्त सम्पूर्ण परिसर व परिसर में रिथ्त पुराना भवन (रामरत पार्किंग, लिफटस छतों सहित) सफाई का कार्य करना होगा। कौशिली द्वारा, गलियारों में न्यायालय समय प्रारंभ होने के दो घंटे पूर्व व न्यायालय समय समाप्त होने में दो घंटे पूर्व (दिन में दो बार) गीला फिर सूखा पौछा लगाना होगा व सफाई कार्य में उचित मात्रा में फिनाईल साबुन के पानी का घाल आदि का उपयोग करना होगा।
- 2 जिला न्यायालय के उपरोक्तानुसार परिसर में रिथ्त भवन, रायी पार्किंग, रोड, कार्यालयों व चेम्बर्स के टॉयलेट्स, कॉर्शनों पौर्व व सम्पूर्ण परिसर की सफाई न्यायालय समय प्रारंभ होने के एक घण्टे पूर्व तक नियमित रूप से की जानी होगी व नियमित रूप से फिनिट का खेल कार्य करना होगा।
- 3 इस परिसर में रिथ्त सभी न्यायालयों के चैम्बर्स एवं शाखाओं में रिथ्त शौचालयों एवं वाथरूमों की सफाई एवं धुलाई का कार्य प्रतिदिन करना होगा। शौचालयों एवं बाथरूमों की सफाई एवं धुलाई साबुन के पानी एवं फिनाईल के उपयोग से करनी होगी। शौचालयों/बाथरूम में फिनाईल की गोलियों का प्रयोग एवं समय समय पर एसिड से सफाई तथा सफाई पाउडर जैसे यिम, सर्फ आदि का प्रयोग भी करना होगा।
- 4 भवन की समस्त सीढ़ियों, पोर्च एवं भवन में रिथ्त रैलिंग की सफाई भी प्रतिदिन करनी होगी।
- 5 भवन के समस्त पोर्च, खिडकियों के शीशे, खिडकियों के बेस, अन्य समस्त दरवाजों एवं खिडकियों की सफाई एवं डिस्ट्रिंग प्रत्येक माह में दो बार करनी होगी। यह सफाई कार्य कार्यालय समय में ही करने होगे।
- 6 उक्त न्यायालय भवन की छत की सफाई का कार्य भी सप्ताह में दो बार करना होगा।
- 7 भवन में रखी गई टॉयलेट्स की पानी की टंकियों की सफाई निर्देशानुसार अवश्य करनी होगी।
- 8 समस्त तलों पर रिथ्त थूकदान एवं पीकदान की सफाई एवं उसमें साफ मिट्टी अथवा राख का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।
- 9 भवन के समस्त तलों पर स्थापित नोटिस बोर्ड एवं चार्टों की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी।
- 10 समस्त तलों व परिसर की सफाई करने के पश्चात कूड़ा-करकट एवं कचरे को दिन में तीन बार उचित स्थान पर परिसर से बाहर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।
- 11 परिसर में जिन अवकाशागारों एवं कमरों में कारपेट लगे हैं, उनकी नियमित सफाई वैक्यूम विलनर से करनी होगी।
- 12 परिसर में खाली कच्ची भूमि पर जो भी जंगली घास हो, को समय समय पर हटाना होगा।
- 13 सफाई कर्मियों की यूनिफार्म नीले रंग की होगी तथा यूनिफार्म की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
- 14 न्यायालय में ठेकेदार द्वारा नियुक्त सुपरवाईजर का नाम और उसका मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया जायेगा और उसके बदलने से पूर्व एक माह पहले सूचना दी जायेगी।
- 15 ठेकेदार अथवा उसका एक प्रतिनिधि/सुपरवाईजर न्यायालय समय से एक घण्टा पूर्व से न्यायालय समय समाप्त होने के एक घंटे बाद तक उपलब्ध रहेगा तथा उसकी उपरिथित नाइजर द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- 16 परिसर में प्रत्येक तल के लिए सफाई कर्मी नीले रंग की यूनिफार्म में अपनी आई.डी. सहित न्यायालय समय आरम्भ से न्यायालय समाप्ति तक कोर्ट मेनेजर की देख-रेख में उपरिथित रहेंगे तथा समय समय पर कमरों के सामने थूकदानों में फेंके गये कचरे को हटाते रहेंगे। जो सफाई कर्मचारी टायेलेट्स की सफाई करने जायेगा उसके द्वारा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध परिचय पत्र भी रखा जायेगा।
- 17 श्रम नियमों के अनुसार सफाईकर्मी की कार्य दशाए निर्धारित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
- 18 राजकीय अवकाशों एवं आकर्षिक आवश्यकताओं के दिनों में निविदा दाता को सफाईकर्मी उपलब्ध कराने होंगे तथा अवकाशों के दिनों में भी समस्त परिसर की सफाई नियमित रूप से करनी होगी।
- 19 सफाई कर्मचारी 10:00 ए.एम से 5:00 पी.एम. के न्यायालय समय में सफाई हेतु प्रातः 7:00 ए.एम. पर उपरिथित होंगे तथा शाम को 4:00 पी.एम. पर उपरिथित होंगे तथा 7:30 ए.एम. से 1:00 पी.एम. के न्यायालय समय में प्रातः 5:30 ए.एम. तथा दिन में 1:00 पी.एम. पर उपरिथित होकर कार्य करेंगे।
- 20 सफाईकर्मी अपनी उपरिथित वायोमेट्रीक मशीन द्वारा भी की जा सकेगी, ठेकेदार द्वारा मशीन उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यालय समय में उपरिथित के आधार पर विल का भुगतान किया जायेगा।
- 21 सफाई के काम में आने वाली समस्त सामग्री अच्छी किस्म की होनी आवश्यक है। जिसका निर्धारण प्रभारी अधिकारी सफाई व्यवस्था द्वारा किया जायेगा।
- 22 निविदा में ठेके की दरें सामग्री सहित उल्लेखित करनी हैं।
- 23 सफाई सामग्री में अगर किसी प्रकार की मिलावट या घटिया किस्म की पाई गई तो सामग्री जब्त कर ठेके को रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 24 ठेकेदारों को जिनको पूर्व में राजकीय विभागों/कार्यालयों/अद्व शासकीय कार्यालयों भवनों का व बहुमंजिला ए-वलास भवनों में सफाई कार्य का एक या अधिक वर्ष का उत्कृष्ट अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी इस हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र जो कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो निविदा पत्र के साथ प्रत्युत्त करना होगा।
- 25 उत्कृष्ट अनुभव के अभाव में टेप्डर स्टीकृत करने/नहीं करने का अधिकार जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को या उनके द्वारा प्राधिकृत समिति को होगा।
- 26 ठेकेदार सफाई के कार्य का ठेका किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा।
- 27 मकड़ी के जालों की सफाई, दीवारों पर रीलन की पपड़ी आदि की सफाई भी नियमित रूप से करनी होगी।
- 28 वेव साईट से डाउनलोड की गयी निविदा का शुल्क रुपये 500/- का डी.डी./वैकर्स वैक अलग से कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के नाम का अलग से जमा कराया जायेगा।

- 29 टॉयलेट्स एवं वाथरुमों का सामान सफाई करने से पहले सफाईकर्मी को राही रूप से रामताया जायगा। सफाई के दौरान यदि किरी प्रकार की टूट-फूट होगी तो उसकी दुरुरती व गरमत ठेकेदार द्वारा अतिशीघ्र कराई जायेगी। यदि किसी कारण से ठेकेदार असमर्थ रहता है तो टूट फूट ठीक कराई जाकर खर्च ठेकेदार से बसूल किया जायगा।
- 30 ठेकेदार को प्रतिभूति के रूप में कुल ठेका राशि की पांच प्रतिशत राशि इसा कार्यालय में जमा करवानी होगी तथा धरोहर राशि प्रतिभूति राशि से सम्भिलित कर ली जायेगी। यह राशि ठेके की अवधि सामात होने पर लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर एक माह में लौटा दी जायेगी। यदि ठेके की शर्तों में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को पांच रुपय प्रतिदिन की राशि काटने का अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर प्रतिभूति राशि में से भी बसूली की जा सकती। यदि वार वार निर्देशों के बावजूद भी रिस्ति संतोषजनक नहीं रहती है तो विभाग को ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 31 सविदा संघन होने के पश्चात सविदा अवधि के दौरान यदि यह जानकारी में आता है कि सफल निविदादाता को पूर्व में किसी अन्य विभाग द्वारा व्हैक तिरट किया गया है तो ऐसी रिस्ति में उक्ता जानकारी तक सविदाकार (ठेकेदार) द्वारा अर्जित एवं जमा समस्त हित लाभ जब्त-ए-सरकार कर लिये जायेंगे तथा सविदा निर्धारित अवधि से पूर्व ही रद्द की जा सकती इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 32 सफाई की व्यवस्था के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये आदेशों व ठेके की शर्तों की पालना ठेकेदार को करनी होगी तथा विना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना होगा।
- 33 ठेके की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम का निर्णय अतिम होगा।
- 34 ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त भी किया जा सकेगा।
- 35 सफाई कार्य हेतु ठेका अवधि वर्ष 2025-26 की अवधि की होगी।
- 36 यदि ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से शर्तों के अनुसार सफाई नहीं की जाती है या रखेच्छा से ठेकेदार काम नहीं करता है या ठेकेदार द्वारा किये गये सफाई कार्य के संतोषजनक न होने की दशा में यदि उसके नाम से ठेका निरस्त किया जाता है तो द्वितीय चूनतम फर्म को ठेका दिया जाकर प्रथम ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त सरकार कर ली जायेगी।
- 37 ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि (earnest money) के रूप में ठेके की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर के पक्ष में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।
- 38 ठेका स्वीकृत हो जाने की रिस्ति में सफल निविदादाता को 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा, जो ठेके की अवधि में वैध होगा।
- 39 बिना धरोहर राशि जमा कराये निविदा पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 40 निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर में निहित रहेगा।
- 41 ठेके को कभी भी रद्द करने का अधिकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर नगर, जयपुर में निहित रहेगा तथा चूनतम दरें स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। निविदादाता फर्म के अनुभव एवं गुणावर्णन का भी ध्यान रखा जायेगा।
- 42 राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार सफल निविदादाता द्वारा निविदा की राशि का पांच प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह में जमा करानी होगी। अनुमानित लागत से कम की निविदाओं के लिए अन्तर राशि के बराबर राशि तक प्रतिभूति राशि को ओर बढ़ाया जा सकता है।
- 43 किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियों ठेकेदार या किसी भी पक्ष (सरकार अथवा सविदाकार) द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर रिस्त न्यायालय में ही प्रारम्भ होगी अन्य स्थानों पर नहीं।
- 44 निविदायें सील बंद लिफाफे में अध्यक्ष, सफाई कार्य निविदा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम-8, जयपुर महानगर-प्रथम के समक्ष दिनांक 28.01.2025 को 03:00 पी०एम० तक ही पेश की जा सकेगी तथा निविदायें दिनांक 28.01.2025 को अपराह्न 04:30 पी०एम० पर खोली जायेंगी। उस समय समस्त निविदादाताओं का उपरिस्त रहना अपेक्षित है।
- 45 पेश किये जाने वाले निविदा में यह भी अंकित किया जाये कि उपरोक्त निविदा से सबधित उपवध एवं शर्तों को पढ़ लिया गया है और सभी उपवध/शर्त स्वीकार्य है तथा जिला न्यायालय परिसर व इसमें रिस्त भवनों की सफाई कार्य (दिये गए विवरण के अनुसार) सामग्री सहित निविदा के संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत की जाए।
- 46 उपरोक्त सफाई कार्य हेतु कुल 25 पार्टटाईम सफाई कर्मियों की प्रतिदिन व्यवस्था करनी होगी। जिनमें से सफाई कार्यों हेतु न्यायालय समय के दौरान 5 सफाईकर्मी पूरे समय उपलब्ध कराने होंगे। रोवा प्रदाता फर्म द्वारा 20 सफाई कर्मचारी सुवह तथा 5 सफाई कर्मचारी शाम के समय लाकर न्यायालय में सफाई करवायी जायेगी। निर्धारित संख्या से जितने कर्मचारी कम आयेंगे उसी के अनुपात में सफाई ठेकेदार के पैसे प्रतिमाह काटे जायेंगे। प्रत्येक तल पर दो सफाई कर्मचारियों से टायलेट की सफाई कोर्ट मेनेजर करवायी जायेगी। कार्य का वितरण कोर्ट मेनेजर द्वारा किया जायेगा।
- 47 सेवा प्रदाता फर्म को लिखित में अपने नियुक्त सफाईकर्मी का नाम एवं मोबाइल न. कोर्ट मेनेजर एवं नाजिर को उपलब्ध कराने होंगे तथा किसी सफाईकर्मी को बदलने की रिस्ति में नाम की अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- 48 ठेकेदार द्वारा न्यायालय परिसर का कचरा उठाने के लिए न्यायालय के कचरापात्र (Dustbin) काम में नहीं लिए जाएंगे। उसे अपना स्वय के संसाधन /ट्रोली आदि काम में लेनी होगी। न्यायालय के डस्टबिनों को नुकसान पहुंचाने पर नुकसान की वसूली ठेकेदार से की जायेगी। डस्टबिन से कचरा ट्रोली में डालकर डिपिंग स्टेशन तक ले जाया जायेगा। डस्टबिन को नहीं घसीटा जायेगा।
- 49 वरामदो कोरीडोर्स इत्यादि की सफाई उपरान्त पोंचा मशीन द्वारा एक दिन छोड़कर एक दिन नियमित रूप से पोंचा लगाया जायेगा।
- 50 कॉरपेट, कोनो तथा खिडकियो आदि की सफाई के लिए येक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जायेगा।
- 51 मैन बिट्टिंग की सीवरेज लाइन चौक होने पर इनको ठेकेदार के स्तर से बत्तीयर कराया जायेगा।
- 52 सफाई कार्य में चूक/ कमी पाये जाने एवं निर्धारित संख्यां में सफाईकर्मियों की उपरिस्त सुनिश्चित नहीं करने पर प्रभारी अधिकारी (सफाई व्यवस्था) के स्तर से प्रथम नोटिस पर मासिक भुगतान की 2.5 प्रतिशत अगले नोटिस पर 5 प्रतिशत तथा उसके पश्चात नोटिस पर 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी। इसके उपरान्त भी सफाई कार्य में सुधार नहीं होने पर अनुबन्ध निरस्त हेतु कार्यवाही की जा सकती है। जारी प्रत्येक नोटिस की एक प्रति उक्त कटौती हेतु प्रभारी अधिकारी (लेखा) को भी भिजवायी जायेगी।
- 53 छज्जे रोड (फाइवर शीट) प्याऊ आदि की सफाई सप्ताह में एक वार आवश्यक रूप से करनी होगी।
- 54 ठेका प्रारंभ होने से पूर्व चयनित ठेकेदार/फर्म द्वारा सफाई व्यवस्था के लिये इस्तेमाल में आने वाली सफाई मशीन या सभी सफाई सामान का नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अवलोकन कराना होगा।

४५८५०५८

- 55 उपस्थिति हेतु सफाईकर्मियों को उपस्थित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि की होगी।
- 56 ठेकेदार द्वारा बीच अवधि में ही सफाई कार्य बंद कर देने पर आकर्षित व्यवस्था के बतौर अथवा आगामी व्यवस्था रखापित करने पर सफाई कार्य ठेकेदार की रिस्क एण्ड कोर्स पर करवाया जाएगा, जिसके लिए रवयं ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
- 57 उपस्थिति रजिस्टर का औचक निरीक्षण प्रभारी अधिकारी सफाई व्यवस्था द्वारा किया जाएगा तथा कोर्ट मेनेजर द्वारा भुगतान हेतु मासिक ब्यौरा प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 58 राजकीय अवकाशों पर विभागीय/राजकीय कान्फेस, बीटिंग व अन्य कार्यकमों पर चार सफाई कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होकर सफाई कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार रखतत्रता एवं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या से ही माकूल सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(प्रोपाईटर/आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम)  
मय सील